

श्रीमान जी, निवेदन है कि ग्राम कणियाला बगर की जमा सं. 2073-76 में खाता सं. 119 में राजेन्द्र पि० श्योपाल हि० के दर हि० 5025 रु० ही धा आर्षी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र के अनुसार आर्षी का सही नाम रविन्द्र 'ही' और आर्षी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजेन्द्र पि० श्योपाल की बजाय रविन्द्र पि० श्योपाल शुद्ध किया जाना उचित है।

गुरु दि० 21/05/18
30/5
2018
रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

अक्षय
28/05/18
डि० प्र० भोसली

130
2018

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार - 2018

आदेश

30/5/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत केन्द्र माफकी में पेश हुई। पत्रावली का ऊपलोकक रिया गया। तहसीलदार नीमकाथाना के रिपोर्ट की गई। उल्लिखित रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के आर्षी का आर्षी पत्र ऊपलोकक धारा 136 CRP के तहत पत्रा जाता है। राजस्व लोक अदालत की भावना को देखते हुए आर्षी का आर्षी पत्र वास्तु रिपोर्ट इतनी हीना रिया जाता है। तहसीलदार नीमकाथाना को इतिहास जाता है कि ग्राम कणियाला बगर की जमा सं 2073-76 के खाता सं 119 में दर्ज खतियार राजेन्द्र पि० श्योपाल के बजाय पत्र रविन्द्र पि० श्योपाल दर्ज कर इतनी कर। पत्रावली के तहत अदालत होकर नामक ले रूप होकर दाखिल कराया है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)